न्यायालय तहसीलदार (भू–अ.), श्री करणपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री जगदीश चन्द्र विश्नोई

प्रकरण संख्या – 24/2019

अनवान – हरदीप सिंह पुत्र सरदारा सिंह जाति जट्टसिख निवासी 2 एफएफ तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर बनाम हरखासआम।

किस्म मुकदमा – वसीयत के अनुसार नामान्तरण किये जाने बाबत।

वसीयतकर्त्ता का नाम – जीत सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जट्टसिख निवासी 2 एफएफ, तहसील श्री करणपुर

–: निर्णय :–

दिनांक –

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन किया गया। जिसका संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है–

प्रार्थी हरदीप सिंह पुत्र सरदारा सिंह जाति जट्टसिख निवासी 2 एफएफ, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के दादा जीत सिंह पुत्र हरि सिंह जाति जट्टसिख निवासी 2 एफएफ, तहसील श्री करणपुर ने चक 2 एफएफ के मु.नं. 16, 28, 32, 59/9 व 59/11 में कुल 15.281 हैक्ट. भूमि में से 3.978 हैक्ट. भूमि मय खाला की वसीयत दिनांक 30.03.2017 को बोविन्द्र सिंह पुत्र मंगल सिंह व कुलवीर कौर पत्नि मंगल सिंह व हरदीप सिंह, विकेन्द्र सिंह पि. सरदारा सिंह जाति जट्टसिख के पक्ष में की है, जिसका प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा नोटरी, श्री करणपुर से प्रमाणित वसीयत मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र बैंक का अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश किया है।

संलग्न वसीयत का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वसीयतकर्त्ता ने चक 2 एफएफ के मु.नं. 16, 28, 32, 59/9 व 59/11 में कुल 15.281 हैक्ट. भूमि में से 3.978 हैक्ट. भूमि मय खाला बोविन्द्र सिंह पुत्र मंगल सिंह व कुलवीर कौर पत्नि मंगल सिंह व हरदीप सिंह, विकेन्द्र सिंह पि. सरदारा सिंह जाति जट्टसिख के नाम करने की इच्छा जाहिर की है। वसीयत पत्र नोटरी, श्री करणपुर से दिनांक 30.03.2017 का प्रमाणित है। प्रार्थी द्वारा वसीयत के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें मृत्यु दिनांक 23.11.2018 को हुई है, पेश किया गया है।

पटवारी हल्का 2 एफएफ से रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी चक 2 एफएफ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के अनुसार खा.सं. 21 के मु.नं. 16, 28, 32, 59/9 व 59/11 में कुल 18.158 हैक्ट. नहरी मय खाला भूमि जीत सिंह पुत्र हरि सिंह के नाम 3.948 हैक्ट. दर्ज रिकार्ड है। रकबा खातेदारी है, स्वअर्जित है तथा कोई विवाद/स्थगन आदेश नहीं है, सिलींग सीमा से प्रभावित नहीं है, सार्वजनिक कार्य हेतु अवाप्त नहीं है, रकबा रहन, बैय नहीं है और स्वअर्जित रकबा के बतौर सबूत इन्तकाल सं. 40, 86 व 136 की प्रति पेश की गई।

इस न्यायालय के पत्रांक भूअ/2018/2515 दिनांक 24.10.2019 द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति/ऐतराज बाबत किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना जारी की गई। जो कि दैनिक समाचार पत्र सीमा सन्देश के दिनांक 26.10.2019 के अंक में प्रकाशित हुई। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद आज दिनांक तक इस वसीयत के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ है।

वसीयत में दर्ज गवाहान बलकार सिंह पुत्र जसवन्त सिंह जाति जट्टसिख व दरबारा सिंह पुत्र स्वरुप सिंह जाति जट्टसिख निवासी 2 एफएफ, तहसील श्री करणपुर ने दिनांक 11.03.2020 को उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाये कि वसीयतकर्त्ता जीत सिंह

पुत्र हरि सिंह द्वारा उनके समक्ष वसीयत लिखवाई गई थी जो सही है एवं वसीयत अपनी स्वेच्छा व रजामन्दी से करवाई बताया गया।

पत्राचली का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मय संलग्न कागजात, पटवारी हल्का रिपोर्ट, वसीयत के गवाहान के बयान एवं सीमा सन्देश में विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरान्त आज तक कोई आपत्ति/ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ। इससे वसीयत की सत्यता प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थी का वसीयत के आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया जाता है तथा पटवारी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तथा मौके पर कब्जा आदि का विवाद नहीं हो तो प्रार्थी के मूल दस्तावेज का मिलान करते हुये वसीयत अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

17.8

तहसीलदार (भू–अ.),
श्री करनपुर

कार्यालय तहसीलदार (भू अ) श्रीकरनपुर

क्रमांक/भू अ/2020/1025 दिनांक 19.8.2020

पटवारी हल्का [illegible] को वसीयत आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना कर इस कार्यालय को सूचित करे

तहसीलदार (भू अ.)
श्रीकरणपुर

O/C